

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

EXECUTION APPLICATION NO. 17/2025

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 407/2023

IN THE MATTER OF:

NIRMAL KUMAR TRIPATHI

....APPLICANT

VERSUS

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD & ORS.

....RESPONDENTS

INDEX

N.D.O.H.: 15.09.2025

SL. No.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply Affidavit on behalf of U.P. Pollution Control Board	
2.	<u>ANNEXURE-1</u> True Copy of tabular verification status of 176 Brick Kilns are being collectively	
3.	<u>ANNEXURE-2</u> True Copies of the order dated 21.08.2019, 08.07.2021, 15.03.2021 and 19.05.2023.	
4.	<u>ANNEXURE-3</u> True copy of order dated 09.05.2023 passed by Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in Public Interest Litigation No. 1103 of 2023	
5.	<u>ANNEXURE-4</u> True copy of office order dated 05.09.2023	

6.	<u>ANNEXURE-5</u> True copy of the said advertisement.	
----	--	--

NEW DELHI
DATED: 12.09.2025



(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO. 17/2025
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 407/2023

IN THE MATTER OF:
NIRMAL KUMAR TRIPATHIAPPLICANT


VERSUS

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD & ORS.
.....RESPONDENTS

REPLY IN SHAPE OF AN AFFIDAVIT ON BEHALF OF
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, Ashutosh Chauhan, S/o. Late Shri Ratan Singh Chauhan, aged about 45 years, presently posted as Gorakhpur, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Gorakhpur, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the above noted capacity am well conversant with the facts and records of the present case, hence am competent to swear this affidavit.
2. That at the very outset, the deponent most respectfully tenders an unconditional and unqualified apology before this Hon'ble Tribunal. The deponent humbly submits that he holds the highest regard for the majesty of law and the dignity of this Hon'ble Tribunal,




Girijesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR

and considers it his solemn duty to comply, in true letter and spirit, with every direction and order passed by this Hon'ble Tribunal.

3. That it is most respectfully submitted that there was no deliberate or intentional violation of the orders passed by this Hon'ble Tribunal. The deponent submits that if at any stage this Hon'ble Tribunal has perceived or received an impression of willful disobedience or non-compliance, the same is deeply regretted, and the deponent hereby tenders his unconditional apology, assuring this Hon'ble Tribunal that all directions passed by this Hon'ble Tribunal, from time to time, shall be faithfully, promptly and fully complied within future.
4. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 31.05.2023 passed in OA No. 407/2023 was pleased to direct the UPPCB and District Magistrate, Deoria to look into the matter and take such remedial action as may be found necessary in accordance with law and file an action taken report.
5. That the deponent further humbly submits that by means of this Execution Application (EA), applicant is seeking compliance of the order dated 31.05.2023 passed in OA No. 407/2023. The grievance of the applicant in OA No. 407/2023 is against operation of 375 brick kilns in District Deoria and the said brick kilns are emitting black smoke and are located close to sensitive establishments.



Girijesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Gupta'.

6. That the present execution application came up for hearing on 21.05.2025 when this Hon'ble Tribunal while issuing the notice has directed the Respondents to file their response/reply. Further, vide its order dated 18.07.2025 this Hon'ble Tribunal has directed the Member Secretary, UPPCB to virtually appear before this Hon'ble Tribunal.
7. That order dated 31.05.2023 was received by the Head Office of U.P. Pollution Control Board on 19.06.2023. The head office vide letter dated 19.06.2023 communicated the said order to the District Magistrate Deoria and Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Deoria by endorsing the Regional Office, Gorakhpur to take the action however, it appears that inadvertently action could not be taken on the basis of the said order for submitting report before this Hon'ble Tribunal. For this lapse unconditional apology is being prayed by the U.P. Pollution Control Board with assurance that in future such a mistake will not be repeated.
8. That in compliance to the above-mentioned direction, it is submitted that as per the office records, a total of 363 Brick Kilns has been identified in Deoria district. Out of which, 187 brick kilns have obtained valid Consent to Operate (CTO) from the UPPCB and 176 brick kilns have not obtained valid CTO under the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The UPPCB has already issued



Girijesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'G' followed by a horizontal line and a vertical line.

Closure orders against all 176 defaulter brick kilns under section 31A of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981. The list of defaulter brick kilns against whom closure order has been issued under section 31A of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 by the UPPCB is available on the website of UPPCB and URL of the same is (<https://uppcb.up.gov.in/en/article/status-of-brick-kilns-in-uttar-pradesh>).

9. That further UPPCB has carried out the inspection of above said 176 brick kilns in the month of June and July of 2024. In the said inspection, all 176 brick kilns were found closed.

Copy of tabular verification status of 176 Brick Kilns are being collectively attached herewith as **ANNEXURE No-1**.

10. That Hon'ble High Court in Writ Petition No-3709(MB)/2010, Dinanath Shukla vs. State of U.P. and others, was pleased to direct the District Magistrate and the District Heads of Police to ensure that no brick kilns are allowed to run without the valid Consent of the UPPCB. The relevant part of the order dated 26.04.2010 passed in above noted writ petition is being quoted below:

" ...It is for the District Magistrate and the Police to see

Girijesh Kumar Gupta
 NOTARY
 GODAKHPUR



that no brick kiln is allowed to run in the absence of no objection certificate, of the U.P. Pollution Control Board and necessary license of the Zila Panchayat, including the present brick kiln and if any compliant is made to this regard or even if it comes to the knowledge of the authorities otherwise, appropriate action has to be taken by the district authorities."

11. That the UPPCB has issued closure orders against defaulter brick kilns under Section 31A of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, as amended, with the directions to the concern District Magistrates and District Heads of the Police for the implementation of closure order in compliance of the provisions of Section 31A of the Air Act as well as in compliance of government orders dated 21.08.2019, 08.07.2021, 15.03.2021 and 19.05.2023.

Copies of the order dated 21.08.2019, 08.07.2021, 15.03.2021 and 19.05.2023 is being attached herewith as **ANNEXURE No-2**.

12. That it is relevant to mention here that in compliance of order dated 09.05.2023 passed by Hon'ble High Court, Allahabad in Public Interest Litigation No. 1103 of 2023, District Magistrate, Deoria vide Office Order dated 05.09.2023 has directed all the Sub Divisional Officer and Station House Officers in District Deoria that they should comply with the order passed by



Girijesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR

Hon'ble High Court as per the list of the brick kilns which have not obtained consent submitted by U.P. Pollution Control Board.

A copy of order dated 09.05.2023 passed by Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in Public Interest Litigation No. 1103 of 2023 is being enclosed herewith and marked as **ANNEXURE No-3.**

It is further submitted that after the affidavit has been filed on behalf of U.P. Pollution Control Board the said Petition has been withdrawn vide order dated 25.07.2024.

True copy of office order dated 05.09.2023 passed by District Magistrate, Deoria is being enclosed herewith and marked as **ANNEXURE No-4.**

13. That Regional Office of U.P. Pollution Control Board also issued a Public Notice in Dainik Jagran dated 22.11.2023 informing all the concerns that the brick kilns against whom closure order has been issued should not be operated without obtaining consent from U.P. Pollution Control Board.

True copy of the said advertisement is being enclosed herewith and marked as **ANNEXURE No-5.**

14. That U.P. Pollution Control Board in its limited



Girijesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR

resources is taking all the precautions to minimize the pollution by taking action from time to time.

The above facts are being placed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.


DEPONENT

VERIFICATION:

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing has been concealed there from.

VERIFIED ON THIS THE 10 DAY OF SEPTEMBER, 2025
AT GORAKHPUR


DEPONENT




*Identified the sig
Deftd
10/09/2025*



Handwritten scribbles

Handwritten signature inside an oval



Identified the sig
@Siyalad
10/09/2025

2026/2025

I witnessed the signature of Ashutosh Chauhan
who signed this document in presence of me on the date 10/09/2025
at the 4:10 and who has been duly identified by me.

Handwritten signature
Girjesh Kumar Gupta
NOTARY
GOVT. AKHPUR
10/09/2025

Handwritten notes:
2025/09/01

Status of the 176 Brick Kilns of District- Deoria, U.P

S. No.	Name of the Brick Kiln	Address/ Location (Village/Tehsil/District)	Date of Clouser order	Status of Brick Kiln During Inspection		Remarks
				Closed (Yes/No)	Date of Verification	
1	M/s Ramashraya Int Udyog (Shree P.D.Int udyog),	Vill-Mahen, Tehsil-Barhaji, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
2	M/s Bharat Int Udyog.	Vill-Sonahula Ramnagar, Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
3	M/s Shash Bricks (Formerly Ranjan Bricks Field),	Fariavdin, Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
4	M/s Vibha Singh BKO,	Kundawal Tara, Lar Road, Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
5	M/s Ranjana Singh Int Udyog (Formerly Singh & Satotter, Post-Naini, Salempur, Deoria	Murarbari Isaru, Post-Bhagalpur, Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
6	M/s Pandey Int Udyog,	Vill-Bharsath, Tehsil-Barhaji, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
7	M/s Ankit Bricks Field,	Fulwariya, Bhatparrani, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
8	M/s Maa Durga Int Udyog	Vill-Bhujauli, Tehsil-Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
9	M/s Kuwardheer Sing BKO Int Bhattha,	Vill-Hetimpur, Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
10	M/s Baba Baijnath Int Udyog	Vill-Dhobi Puraina, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
11	M/s Randhir Singh BKO	Vill-Parisiya Chandaur, Barhaji, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
12	M/s Yadav Brick Field	Bhatuli Khurd, Post-Gauri Bazar, Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
13	M/s Janta Int Udyog	Vill-Sahjauli, Post-Baitalpur, Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
14	M/s Shakuntala Brick Field (Formerly Mahesh Int	Barao, Barhaji, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
15	M/s Kamlesh Int Udyog	Barthha Lala, The-Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
16	M/s Yadav Brick Field	Barthha Lala, The-Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
17	M/s Yadav Brick Field	Barthha Lala, The-Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
18	M/s Balaji Int Udyog	Barthha Lala, The-Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
19	M/s Amit Brick Field	Barthha Lala, The-Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
20	M/s Ajit Brick Field	Barthha Lala, The-Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
21	M/s Anil Rai Int Udyog	Barthha Lala, The-Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
22	M/s Alim Int Udyog	Barthha Lala, The-Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
23	M/s Ajay Kumar Mishra	Barthha Lala, The-Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
24	M/s Ishwari Int Udyog	Barthha Lala, The-Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-
25	M/s Nagendra & Brodthers BKO	Barthha Lala, The-Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	22.06.2024	-

[Handwritten Signature]

Nitesh Kumar
JE

S. No.	Name of the Brick Kiln	Address/ Location (Village/Tehsil/District)	Date of Clouser order	Status of Brick Kiln During Inspection		Remarks
				Closed (Yes/No)	Date of Verification	
26	M/s Gangeshwar Brick Field	Vill-Motipur Chuhya Post-Motipur, Teh-Bhatparrani, Deoria	14.07.2021	Yes	24.06.2024	-
27	M/s M.S. Brick Field	Puraini Shakha, Anantpur, Deoria	14.07.2021	Yes	24.06.2024	-
28	M/s M.K.S. Brick Field	Vijapur, Deoria	14.07.2021	Yes	24.06.2024	-
29	M/s M.S. Int Udyog	Pandeypur, Malsi, Deoria	14.07.2021	Yes	24.06.2024	-
30	M/s A.K.Brick Field	Sindhmill, Deoria	14.07.2021	Yes	24.06.2024	-
31	M/s M.S.Int Udyog	Tirma Sahun, Deoria	14.07.2021	Yes	24.06.2024	-
32	M/s H.B.C. Int Udyog	Vill & Post-Lar, Deoria	14.07.2021	Yes	24.06.2024	-
33	M/s M.S.BKO	Bheli Patli, Post-Patherdewa, Deoria	14.07.2021	Yes	24.06.2024	-
34	M/s A.B.C. Int Udyog	Lar, Salempur, Deoria, Deoria	14.07.2021	Yes	24.06.2024	-
35	M/s M.L.Int Udyog	Barhata, Post-Rudrapur, Deoria	14.07.2021	Yes	24.06.2024	-
36	M/s Janta Int Udyog	Pakari, Lar, Deoria	14.07.2021	Yes	24.06.2024	-
37	M/s J.P. Int Udyog	Lar Town, Deoria	14.07.2021	Yes	24.06.2024	-
38	M/s Jay Maa Gayatri Int Udyog	Khairatiya, Deoria	14.07.2021	Yes	24.06.2024	-
39	M/s Janta Int Udyog	Imatiya, Deoria	14.07.2021	Yes	24.06.2024	-
40	M/s G.C.M. Int Udyog	Kathuri, Bunaki Lar, Deoria	14.07.2021	Yes	24.06.2024	-
41	M/s Jai Mai Ambey Int Udyog	Bhadila Mahen, Deoria	14.07.2021	Yes	24.06.2024	-
42	M/s Jaiswal Trading Company	Khutaha, Kanchanpur, Deoria	14.07.2021	Yes	28.06.2024	-
43	M/s Jai Mata Di Int Udyog	Dhaturakhas, Deoria	14.07.2021	Yes	28.06.2024	-
44	M/s Jashoda Int Udyog	Dhaturakhas, Deoria	14.07.2021	Yes	28.06.2024	-
45	M/s Dwivedi Brick Field	Ghatatalacheif, Post-Piparpatti, Tehsil-Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	28.06.2024	-
46	M/s Devesh Int Udyog	Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	28.06.2024	-
47	M/s Durgesh Brick Field	Dhanauti Kala, Piparpatti, Deoria	14.07.2021	Yes	28.06.2024	-
48	M/s Durga Int Udyog	Chakdeyee, Post-Pakari, Deoria	14.07.2021	Yes	28.06.2024	-
49	M/s Pratap Int Udyog	Khairatiya, Gauri Bazar, Deoria	14.07.2021	Yes	28.06.2024	-
50	M/s Shri Prakash Int Udyog	Chariya Sutawar, Deoria	14.07.2021	Yes	28.06.2024	-
51	M/s Pandey Bricks Field	Sathiyav Baikunthpur, Deoria	14.07.2021	Yes	28.06.2024	-
52	M/s Pandey Brick Field,	Bhartha Patli, Deoria	14.07.2021	Yes	28.06.2024	-

ASH

Nitesh Kumar
JE

S. No.	Name of the Brick Kiln	Address/ Location (Village/Tehsil/District)	Date of Clouser order	Status of Brick Kiln During Inspection		Remarks
				Closed (Yes/No)	Date of Verification	
53	M/s Praveen Int Udyog	Banjariya, Deoria	14.07.2021	Yes	28.06.2024	-
54	M/s Pradeep Yadav BKO	Ketuniya, Post-Pakri Babu, Khampar, Bhatparrani, Deoria	14.07.2021	Yes	28.06.2024	-
55	M/s Bharat Int Udyog	Govindpur, Deoria	14.07.2021	Yes	28.06.2024	-
56	M/s Mami Int Udyog	Rampur Dubey, Post-Belwa Bazar, Tehsil-Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	28.06.2024	-
57	M/s Mannu Int Udyog	Lot Bankat Bahadur, Deoria	14.07.2021	Yes	28.06.2024	-
58	M/s Mishra Int Udyog	Bijapur Jhangaur, Deoria	14.07.2021	Yes	28.06.2024	-
59	M/s Moharram Ali Int Udyog	Dhani Tola, Deoria	14.07.2021	Yes	28.06.2024	-
60	M/s Srimati Chandrakali Devi	Kharahari Chuk, Deoria	14.07.2021	Yes	28.06.2024	-
61	M/s Mahavir Int Udyog (Formerly Singh Int Udyog)	Bankata, Deoria	14.07.2021	Yes	28.06.2024	-
62	M/s Yadav Int Udyog	Barthahi Tarkulwa, Deoria	14.07.2021	Yes	28.06.2024	-
63	M/s Yadav Brick Field	Paras Jungle, Deoria	14.07.2021	Yes	02.07.2024	-
64	M/s Yadav Brick Manufacturing Co.	Jungle Katari, Deoria	14.07.2021	Yes	02.07.2024	-
65	M/s Yadav Brick Field	Sahjauli, Baitalpur, Deoria	14.07.2021	Yes	02.07.2024	-
66	M/s Yadav Int Udyog(Formerly Janta Int Udyog)	Pachdevradih, Lar, Deoria	14.07.2021	Yes	02.07.2024	-
67	M/s Yadav Brick Field, Bhagwanpur	Post-Baliuwa, Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	02.07.2024	-
68	M/s Baba Int Udyog	Karaundi, Deoria	14.07.2021	Yes	02.07.2024	-
69	M/s Vikas Int Udyog	Dhanauti, Deoria	14.07.2021	Yes	02.07.2024	-
70	M/s Brij Bihari Yadav BKO	Malkauli, Deoria	14.07.2021	Yes	02.07.2024	-
71	M/s Vishen Int Udyog	Nipaniya, Deoria	14.07.2021	Yes	02.07.2024	-
72	M/s Baba Int Udyog	Malkauli, Deoria	14.07.2021	Yes	02.07.2024	-
73	M/s Vishen Int Udyog	Luxmipur, Deoria	14.07.2021	Yes	02.07.2024	-
74	M/s Shri Vaishno Int Bhattha	Mahuvari, Post-Pahardewa, Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	02.07.2024	-
75	M/s Vinod Brick Field	Tarwa Barwa, Deoria	14.07.2021	Yes	02.07.2024	-
76	M/s Rao Int Udyog	Desahi, Deoria	14.07.2021	Yes	02.07.2024	-
77	M/s Ramnagendra Yadav BKO	Kuwar Bakhra, Deoria	14.07.2021	Yes	02.07.2024	-
78	M/s Rajkishori Devi BKO	Puraina, Deoria	14.07.2021	Yes	02.07.2024	-
79	M/s Ravi Pratap Singh BKO	Narayanpur Tiwari, Deoria	14.07.2021	Yes	02.07.2024	-
80	M/s Rakesh Pandey BKO	Rampur Katriya, Deoria	14.07.2021	Yes	02.07.2024	-

ASHU
SA

Nitesh Kumar
SE

S. No.	Name of the Brick Kiln	Address/ Location (Village/Tehsil/District)	Date of Clouser order	Status of Brick Klin During Inspection		Remarks
				Closed (Yes/No)	Date of Verification	
81	M/s Rajiv Singh & Brothers,	Kapuri Barhuj, Deoria	14.07.2021	Yes	02.07.2024	-
82	M/s Raj Brick Field	Padari Dabholi, Deoria	14.07.2021	Yes	02.07.2024	-
83	M/s Ramesh Yadav Int Udyog	Barnai, Deoria	14.07.2021	Yes	02.07.2024	-
84	M/s Rao Int Udyog	Gauri Kothi, Kothi, Deoria	14.07.2021	Yes	02.07.2024	-
85	M/s Rai Brick Field	Kharaiich, Deoria	14.07.2021	Yes	02.07.2024	-
86	M/s Rai Int Udyog	Kataura Jatha Padari Suiyan, Deoria	14.07.2021	Yes	05.07.2024	-
87	M/s Ramashraya Singh & Brothers	Mahidiya, Deoria	14.07.2021	Yes	05.07.2024	-
88	M/s Lari & Brothers BKO	Sarya Majhaliya, Deoria	14.07.2021	Yes	05.07.2024	-
89	M/s Laxmi Int Udyog	Parauli, Deoria	14.07.2021	Yes	05.07.2024	-
90	M/s Shubham Industries	Belwa Rampur Khurd, Deoria	14.07.2021	Yes	05.07.2024	-
91	M/s Singh Int Udyog	Boriya Sultan, Deoria	14.07.2021	Yes	05.07.2024	-
92	M/s Shiv Enterprises	Khorma Rudrapur, Deoria	14.07.2021	Yes	05.07.2024	-
93	M/s Saraswati Int Udyog	Sarura, Deoria	14.07.2021	Yes	05.07.2024	-
94	M/s M.S. Int Udyog	Khoraram, Post-Badhaya Bujurg, Tehsil-Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	05.07.2024	-
95	M/s Saraswati Brick Field	Basdla, Deoria	14.07.2021	Yes	05.07.2024	-
96	M/s Shiv Int Udyog	Imambarha Chauraha, Deoria	14.07.2021	Yes	05.07.2024	-
97	M/s Sandeep Brick Industries	Bhujali Rampur Awasthi, Deoria	14.07.2021	Yes	05.07.2024	-
98	M/s Shivam Int Udyog	Kaparwar, Deoria	14.07.2021	Yes	05.07.2024	-
99	M/s Saanjay Brick Field	Karamtar Sher Khan, Deoria	14.07.2021	Yes	05.07.2024	-
100	M/s Suraj Int Udyog	Harnahi Baraon, Deoria	14.07.2021	Yes	05.07.2024	-
101	M/s Singh Bandhu Int Udyog	Churi Khurd, Deoria	14.07.2021	Yes	05.07.2024	-
102	M/s Singh Int Udyog	Narayanpur Tiwari, Bhatparrani, Deoria	14.07.2021	Yes	05.07.2024	-
103	M/s Saanjay Brick Field	Jagdishpur, Vrindavan Post-Musahari, Tehsil-Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	05.07.2024	-
104	M/s Shankutala Devi BKO	Imaliya, Deoria	14.07.2021	Yes	05.07.2024	-
105	M/s Singh Int Udyog	Jamuwa, Deoria	14.07.2021	Yes	05.07.2024	-
106	M/s Singh & Brothers	Nagwa, Ramnagar, Deoria	14.07.2021	Yes	05.07.2024	-
107	M/s Shahi Brick Field	Baripar Pandey, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-

AM
SA

Nitesh Kumar
JE

S. No.	Name of the Brick Kiln	Address/ Location (Village/Tehsil/District)	Date of Clouser order	Status of Brick Klin During Inspection		Remarks
				Closed (Yes/No)	Date of Verification	
108	M/s Shivam Int Udyog	Mahiganj, Rudrapur, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
109	M/s Singh Int Udyog	Bakunthpur, Bhaluwani, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
110	M/s Singh Bricks Field	Daraya, Kohuwa, Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
111	M/s Shahi Brick Field & Suppliers	Bahadurpur, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
112	M/s Singh Bricks Field	Parsiya Miskari, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
113	M/s Singh Bricks Field Works	Chandpar, Bhatni, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
114	M/s Shama Int Bhattha (Formerly Ramjasrai Int	Chakbandi Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
115	M/s Shyam Brick Field	Manik, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
116	M/s Sharma & Brothers Bricks	Amanui, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
117	M/s Shivpur Int Udyog	Harpur Kala, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
118	M/s Sanjay BKO	SirjamDei, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
119	M/s Singh Brick Field	Vill & Post-Mahuwa Bajratar, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
120	M/s Shiv Enterprises	Khorina Rudrapur, Khoriya, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
121	M/s Raj Int Udyog	Kamhariya Babhnauli, Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
122	M/s Dinesh Gupta BKO	Sathyaon, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
123	M/s Bharat Int Udyog	Dighwa Potwa, Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
124	M/s S.S.Bricks Field (Maa Durga Int Udyog)	Sirjam Dei, Gauri Bazar, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
125	M/s Shiv Int Udyog	Harpur Kalan, Post-Sidhuwa, Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
126	M/s M.B.C. Int Udyog	Mahuari, Post-Pandeypur Mundera, Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
127	M/s Munsi Prasad Jaiswal Int Udyog	Baghauch Ghat, Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
128	M/s Raju Madheshiya BKO	Vill-Sundarpur, Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
129	M/s B.L.S. Int Udyog	Kanakpur, Rudrapur, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
130	M/s Rajesh Int Udyog	Badahara, Rudrapur, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
131	M/s Deep Int Udyog	Dalhu, Post-Khukhundupur, Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
132	M/s Vishen Int Udyog	Narauli Khas, Khukhundupur, Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	06.07.2024	-
133	M/s Ashok Int Udyog,	Mujari Khurd, Puraini, Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	08.07.2024	-
134	M/s Chandrabhan Int Udyog	Parsiya(Rajwal), Post-Bhatni, Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	08.07.2024	-

AS
SA

Nitesh Kumar
JE

S. No.	Name of the Brick Kiln	Address/ Location (Village/Tehsil/District)	Date of Clouser order	Status of Brick Kiln During Inspection		Remarks
				Closed (Yes/No)	Date of Verification	
135	M/s Baba Bricks	Sonaula Ramnagar (Jasminpur), Post-Gadhrampur(Industries), Deoria	14.07.2021	Yes	08.07.2024	-
136	M/s Bharat Int Udyog	Walpur Shrinagar, Tarkulwa, Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	08.07.2024	-
137	M/s M.S.Int Udyog	Bheli Pati, Patherdewa, Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	08.07.2024	-
138	M/s H.T.K. Int Udyog	BheliPatti, Pathardewa, Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	08.07.2024	-
139	M/s Vikas Int Udyog	Kehuniya (Kothi), Pakri(Babu), Bhatparrani,	14.07.2021	Yes	08.07.2024	-
140	M/s Amar Int Udyog	Kahuniya, Pakri Babu, Bhatparrani, Deoria	14.07.2021	Yes	08.07.2024	-
141	M/s Nasir Int Udyog	Nipaniya (Paimauli), Bhingari, Bhatparrani, Deoria	14.07.2021	Yes	08.07.2024	-
142	M/s R.N.T.Int Udyog	Kukurghati, Bhatparrani, Deoria	14.07.2021	Yes	08.07.2024	-
143	M/s N.K. Int Udyog	Gobrai(Nuniya), Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	08.07.2024	-
144	M/s G.V.F.Int Udyog	Ahirauli Sathiyav, Baikunthpur, Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	08.07.2024	-
145	M/s Indu Int Udyog	Dolchhapra, Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	08.07.2024	-
146	M/s Krishna Int Udyog	Bardlia Parsuram, Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	08.07.2024	-
147	M/s Sholey Int Udyog	Ramnagar, Post-Lar, Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	08.07.2024	-
148	M/s Pradeep Bricks Field	Ithauwa Chandauli, Deoria	14.07.2021	Yes	08.07.2024	-
149	M/s Rajpoot Int Udyog	Khriya, Deoria	14.07.2021	Yes	08.07.2024	-
150	M/s Maa Vaishno Int Udyog	PachFerwa, Chheria, Deoria	14.07.2021	Yes	08.07.2024	-
151	M/s Singh Bricks Field	Kangoi Gaon, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-
152	M/s Gaurav Brick Field	Vill-Nonare, Kapatwar Tikampar, Tehsil-Bhatparrani, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-
153	M/s Maa Vindhyaani Int Udyog	Ajana, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-
154	M/s Amit Int Udyog	Daini Lar, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-
155	M/s Yadav Bricks Field	Bankatiya Dubey, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-
156	M/s G.N.V. Bricks Field	Chheriya Sohanpur, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-
157	M/s Vinod Int Udyog	Barwa Upadhayaya, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-
158	M/s Vishen Brick Field	Kaithwalyaraja, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-
159	M/s Suresh Rai Int Udyog HUF	Meharnagar Bahar, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-

Agar
5A

Nish Kumar
JE

S. No.	Name of the Brick Kiln	Address/ Location (Village/Tehsil/District)	Date of Clouser order	Status of Brick Kiln During Inspection		Date of Verification	Remarks
				Closed (Yes/No)	Date of		
160	M/s Shivam Int Udyog	Balepur Shrinagar, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-	
161	M/s Vikas Int Udyog	Tavakkalpur Parsakha, Tehsil-Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-	
162	M/s Jaiswal Int Udyog	Pandeypur Mundera, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-	
163	M/s Mata Int Udyog	Gautam Chakmathiya, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-	
164	M/s Durgesh Int Udyog	Gobarai, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-	
165	M/s Shiv Enterprises	Maheshpur Buradih, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-	
166	M/s M.L. Int Udyog	Patharhat, Rudrapur, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-	
167	M/s Adalat Yadav Brick Field	Bholapar Banki, Near Khoraram, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-	
168	M/s Singh Int Udyog	Singhai, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-	
169	M/s B.K. Enterprises	Jungle Akataha, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-	
170	M/s N.B. Int Udyog	Mahuwabari, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-	
171	M/s Baba Industries	Mahuawa Baijatarh, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-	
172	M/s Shivam Int Udyog	Gautam Chakmathiya, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-	
173	M/s Munsi Prasad Jaiswal Int Udyog	Baghauch Ghat, Sadar, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-	
174	M/s Shyam Bahadur Yadav BKO	Vill-Pachperwa, Tehsil-Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-	
175	M/s Kashinath BKO	Vill-Purnachhapar, Post-Bhatani Tehsil-Salempur, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-	
176	M/s Gyan Prakash Int Bhartha	Vill & Post-Chhitahi Bazar, Tehsil, Rudrapur, Deoria	14.07.2021	Yes	09.07.2024	-	

SA

*Mukesh Kumar
JE*

[Signature]
16/3/21

संख्या- 303 /81-7-2021-39(पर्या)/2014 टी0सी0-1

प्रेषक,

संजय सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

पत्रांक : 769/21/एम एस कैम्प/21

दिनांक : 16/3/2021

सेवा में,

- 1- समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।
- 2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उ0प्र0।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक : 15 मार्च, 2021
विषय-प्रदेश में अवैध रूप से संचालित हो रहे ईट भट्टों से फैल रहे वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-970/81-7-2019-39(पर्या)/2014 टी.सी.-1, दिनांक 21.08.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वर्णित आदेशों के अनुपालन में अवैध ईट भट्टों के संचालन को निषिद्ध किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं ईट भट्टा, संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेन्स जारी करने वाले विभागों यथा जिला पंचायत, भूतत्व एवं खनिकर्म तथा वाणिज्यकर के जिला स्तरीय कार्यालयों से परीक्षणोपरान्त ही अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेन्स निर्गत किया जाना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये थे।

2- अवगत कराना है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी इन्वेन्ट्री के अनुसार वर्तमान में प्रदेश के अन्तर्गत कुल 19199 ईट भट्टा उद्योग स्थापित हैं। प्रदेश में कुल 1905 ईट भट्टों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये हैं। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0-3709(एम.बी.)/2010 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2010 एवं जनहित याचिका संख्या-20773/2014 में पारित आदेश दिनांक 01.05.2014 के अनुपालनार्थ स्थानीय प्रशासन द्वारा बन्दी की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

[Signature]
17.03.21

CEO(C-6), Nodal

Brick Kiln

15/03/2021
(धारा-31ए तैयारी)
सदस्य सचिव

3- अतः उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी ईट भट्टों के विरुद्ध बन्दी आदेश की जनपदवार विवरण संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ईट भट्टों को जारी बन्दी आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करें, जिससे मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2010 एवं 01.05.2014 का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

भवदीय,

(सजय सिंह)
सचिव।

संख्या- (1)/81-7-2021-39(पया)/2014 टी०सी०-1, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज/संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन/भूतत्व एवं खनिकर्म/गृह/राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
3. आयुक्त एवं सचिव, उ०प्र० राजस्व परिषद्, लखनऊ/प्रयागराज।
4. आयुक्त, वाणिज्य कर, उ०प्र०, लखनऊ।
5. निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ।
6. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०, लखनऊ।
7. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 2019

विषय- प्रदेश में अवैध रूप से संचालित हो रहे ईट भट्टों से फैल रहे वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या-जी30896/सी-6/सा0-207/ईट भट्टा नोडल/19, दिनांक 16.08.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई इन्वेंट्री के अनुसार वर्तमान में प्रदेश के अंतर्गत कुल 18687 ईट भट्टा उद्योग स्थापित हैं। ईट भट्टों में कोयला एवं लकड़ी का मुख्यतया ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा ईट भट्टों में ईंधन के दहन से वायु प्रदूषणकारी अवयव जनित होते हैं। ईट भट्टों द्वारा तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित एवं संचालित नहीं किए जाने के कारण परिवेशीय वायु गुणता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को न्यून किये जाने एवं ईट भट्टा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उपयुक्त स्थलों पर स्थापित किये जाने के उद्देश्य से पर्यावरण अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-921/55-पर्या/12-(पर्या)-11 दिनांक 27.06.2012 के द्वारा उत्तर प्रदेश ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 प्रख्यापित की गई है। उक्त नियमावली के नियम-3 में उपबन्धित है कि "ईट भट्टा की फुँकाई के संबंध में अथवा खनन पट्टा के लिए जिला पंचायत/सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुज्ञप्ति तब तक नहीं प्रदान की जायेगी जब तक कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गयी विधिमान्य पूर्व सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) ईट भट्टा के स्वामी द्वारा प्राप्त न कर ली गई हो"।

2- ईट भट्टा उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ समुचित रूप से स्थापित किये जाने एवं उनके स्थापना स्थल राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित उल्लिखित नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से प्रत्येक ईट भट्टे को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों के अंतर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त के अतिरिक्त ईट भट्टों के प्रयोगार्थ मिट्टी के

CEo/L-6
21/08/19

खनन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरणीय संघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संकलित की गई सूचना के अनुसार वर्तमान में प्रदेश के अंतर्गत 9860 ईट भट्टे उपरोक्त अनिवार्य वैधानिक स्वीकृति/सहमति प्राप्त किये बिना संचालित हैं।

3- अवैध रूप से संचालित ईट भट्टों का संचालन निषिद्ध कराये जाने हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत बन्दी आदेश निर्गत किये जा रहे हैं तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु संबंधित जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों से अनुरोध किया जा रहा है, परन्तु उक्त बन्दी आदेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है।

4- मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं०-3709(एम०बी०)/2010 दीनानाथ शुक्ला बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में ईट भट्टों के संबंध में दिनांक 26.04.2010 को पारित आदेश का सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

".....We, therefore, decline to entertain the petition, as there is nothing on record to indicate that the brick kiln is running or is likely to run without obtaining the 'no objection certificate' from the U.P. Pollution Control Board and the necessary licence from the Zila Panchayat as argued by the counsel for the petitioner. It is for the district magistrate and the police to see that no brick kiln is allowed to run in the absence of 'no objection certificate, of the U.P. Pollution Control Board and necessary licence of the Zila Panchayat, including the present brick kiln and if any complaint is made in this regard or even if it comes to knowledge of the authorities otherwise, appropriate action has to be taken by the district authorities"

अग्रेतर अवगत कराना है कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका सं०-20773/2014, सुमित सिंह बनाम उ० प्र० राज्य में भी ईट भट्टों के सम्बन्ध में दिनांक 01.05.2014 को आदेश पारित है जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:-

"..... The due exercise of statutory powers by the Pollution Control Board also requires the co-operation of the District Administration and the law enforcement Machinery of the district shall, therefore, take all necessary steps to ensure due compliance of the lawful instructions and directives issued by the Board....."

5- मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं०-3709(एम०बी०)/2010 में पारित उल्लिखित आदेश दिनांक 26.04.2010 एवं जनहित याचिका सं०-20773/2014 में पारित उल्लिखित आदेश दिनांक 01.05.2014 के अनुपालनार्थ स्थानीय प्रशासन द्वारा वांछित कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा प्रदेश में अवैध रूप से संचालित ईट भट्टों के कारण परिवेशीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि ईट भट्टा संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेंस जारी करने वाले विभागों यथा-जिला पंचायत, भूतत्व एवं खनिकर्म तथा वाणिज्य कर के जिला स्तरीय कार्यालयों द्वारा उ०प्र० ईट भट्टा नियमावली, 2012 के नियम-3 के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं।

6- राज्य में अवैध रूप से संचालित हो रहे ईट भट्टों की सूची उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस उद्देश्य से अपनी वेबसाइट (http://www.uppcb.com/status_brick_kiln.htm) पर

अपलोड की गई है ताकि ईट भट्टा संचालन हेतु अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेंस जारी करने वाले राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा ईट भट्टों को अग्रेतर संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/लाइसेंस/अनापत्ति तब तक जारी न की जाये जब तक ईट भट्टा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त न कर ले।

7- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन में अवैध ईट भट्टों के संचालन को निषिद्ध किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं ईट भट्टा संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेंस जारी करने वाले विभागों यथा-जिला पंचायत, भूतत्व एवं खनिकर्म तथा वाणिज्य कर के जिला स्तरीय कार्यालयों से परीक्षणोपरान्त ही अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेंस निर्गत किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-१७०(1)/81-7-2019-39(पयी)/2014 टी०सी०-1, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
पंचायती राज/संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन/भूतत्व एवं खनिकर्म/गृह/राजस्व
विभाग, उ०प्र० शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त एवं सचिव, उ०प्र० राजस्व परिषद्, लखनऊ/प्रयागराज।
4. आयुक्त, वाणिज्य कर, उ०प्र०, लखनऊ।
5. निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ।
6. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०, लखनऊ।
7. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- 1- पुलिस आयुक्त,
गौतमबुद्ध नगर/लखनऊ/कानपुर/वाराणसी।
- 2- समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।
- 3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उ0प्र0।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक : 08 जुलाई, 2021

विषय-प्रदेश में अवैध रूप से संचालित हो रहे ईट भट्टों से फैल रहे वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-970/81-7-2019-39(पर्या)/2014 टी.सी.-1, दिनांक 21.08.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वर्णित आदेशों के अनुपालन में अवैध ईट भट्टों के संचालन को निषिद्ध किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं ईट भट्टा संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेन्स जारी करने वाले विभागों यथा जिला पंचायत, भूतत्व एवं खनिकर्म तथा वाणिज्यकर के जिला स्तरीय कार्यालयों से परीक्षणोपरान्त ही अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेन्स निर्गत किया जाना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के अतिरिक्त अवैध रूप से संचालित ईट भट्टों का संचालन निषिद्ध कराये जाने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी ईट भट्टों के विरुद्ध बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के स्तर से निर्गत आदेश संख्या-303/81-7-2021-39(पर्या)/2014 टी0सी0-1, दिनांक 15.03.2021 द्वारा समस्त जिलाधिकारी एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश को निर्देश दिये गये हैं।

2- अवगत कराना है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयारी की गयी इन्वेन्ट्री के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में कुल 19395 ईट भट्टा उद्योग स्थापित है। ईट भट्टों की स्थापना पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उपयुक्त स्थलों पर सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-921/55-पर्या/12-(पर्या)-11 दिनांक 27.06.2012 द्वारा उत्तर प्रदेश ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 प्रख्यापित की गई है। उक्त नियमावली के नियम-3 में उपबन्धित है कि "ईट भट्टा की फुँकाई के संबंध में अथवा खनन पट्टा के लिए जिला पंचायत/सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुज्ञप्ति तब तक नहीं प्रदान की जायेगी

जब तक कि राज्य बोर्ड द्वारा जारी की गयी विधिमान्य पूर्व सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) ईट भट्टा के स्वामी द्वारा प्राप्त न कर ली गई हो"।

3- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं०-3709(एम०बी०) /2010 दीनानाथ शुक्ला बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में ईट भट्टों के संबंध में दिनांक 26.04.2010 को आदेश पारित किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

".....We, therefore, decline to entertain the petition, as there is nothing on record to indicate that the brick kiln is running or is likely to run without of obtaining the 'no objection certificate' from the U.P. Pollution Control Board and the necessary licence from the Zila Panchayat as argued by the counsel for the petitioner. It is for the district magistrate and the police to see that no brick kiln is allowed to run in the absence of 'no objection certificate, of the U.P. Pollution Control Board and necessary licence of the Zila Panchayat, including the present brick kiln and if any complaint is made in this regard or even if it comes to knowledge of the authorities otherwise, appropriate action has to be taken by the district authorities"

4- राज्य में अवैधानिक रूप से संचालित हो रहे ईट भट्टों की सूची उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट (http://www.uppcb.com/status_brick_klin.htm) पर उपलब्ध है। अतः यह आवश्यक है कि ईट भट्टा संचालन हेतु अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेंस जारी करने वाले राज्य सरकार के समस्त विभाग ईट भट्टों को अग्रतर संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/लाइसेंस/अनापत्ति तब तक जारी न करे जब तक ईट भट्टा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त न कर लें तथा ऐसे ईट भट्टों जिन्हें उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त नहीं है, उनका संचालन तत्काल प्रभाव से निषिद्ध किया जाये।

5- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुपालन में अवैध ईट भट्टों के संचालन को निषिद्ध किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं ऐसे ईट भट्टों जिन्हें उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं है, को संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेंस जारी करने वाले विभागों यथा जिला पंचायत, भूतत्व एवं खनिकर्म व वाणिज्य कर के जिला स्तरीय कार्यालयों से अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेंस निर्गत न किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज सिंह)


अपर मुख्य सचिव।

संख्या-582(1)/81-7-2021-39(पर्या)/2014 टी०सी०-1, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज/संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन/भूतत्व एवं खनिकर्म/गृह/राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।

3. आयुक्त एवं सचिव, उ०प्र० राजस्व परिषद्, लखनऊ/प्रयागराज।
4. आयुक्त, वाणिज्य कर, उ०प्र०, लखनऊ।
5. निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ।
6. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०, लखनऊ।
7. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(भारत प्रसाद)
उप सचिव।

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. पुलिस आयुक्त,
गौतमबुद्ध नगर/लखनऊ/कानपुर/वाराणसी।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उ०प्र०।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
उ०प्र०।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6.

लखनऊ : दिनांक 17 नवम्बर, 2022

विषय: प्रदेश में अवैध रूप से संचालित हो रहे ईट भट्टों से फैल रहे वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में उल्लेख करना है कि दिनांक 18.10.2022 को मा० मंत्री, वित्त एवं संसदीय कार्य, उ०प्र० की अध्यक्षता में उ०प्र० ईट निर्माता समिति के साथ सम्पन्न बैठक में मा० वित्त मंत्री महोदय द्वारा पर्यावरण अनापत्ति तथा जी०एस०टी० पंजीयन के बिना चल रहे ईट भट्टों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ईट भट्टों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित कर निर्धारित मानकों के अनुरूप लाये जाने हेतु जिग-जैग टेक्नोलॉजी में परिवर्तित किये जाने के संबंध में अधिसूचना दिनांक 22.02.2022 को जारी की गई है।

3- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या 970/81-7-2019-39 (पर्या)/2014 टी०सी०-1 दिनांक 21.08.2019 द्वारा प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वर्णित आदेशों के अनुपालन में अवैध ईट भट्टों के संचालन को निषिद्ध किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं ईट भट्टा संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेन्स जारी करने वाले विभागों तथा जिला पंचायत, भूतत्व एवं खनिकर्म तथा वाणिज्यिक के जिला स्तरीय कार्यालयों से परीक्षणोपरान्त ही अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेन्स निर्गत किया जाना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के अतिरिक्त अवैध रूप से संचालित ईट भट्टों का संचालन निषिद्ध कराये जाने हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी ईट भट्टों के विरुद्ध बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के स्तर से निर्गत आदेश संख्या 303/81-7-2021-39(पर्या)/2014 टी०सी०-1 दिनांक 15.03.2021 द्वारा समस्त जिलाधिकारी, एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० को निर्देश दिये गये हैं।

4- ईट भट्टों द्वारा तकनीकी दृष्टिकोण से उपर्युक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित एवं संचालित न किये जाने के कारण परिवेशीय वायु गुणता कुप्रभावित न हो तथा ईट भट्टा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उपयुक्त स्थलों पर स्थापित किये जाये, इस उद्देश्य से पर्यावरण अनुभाग, उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या-921/55-पर्या/12-(पर्या)-11 दिनांक 27.06.2012 के माध्यम से उत्तर प्रदेश ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 प्रख्यापित किया गया है जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ही सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त है। उक्त नियमावली के नियम-3 में उपबन्धित है कि "ईट भट्टा की फूँकाई के संबंध में अथवा खनन पट्टा के लिए जिला पंचायत/सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुज्ञप्ति तब तक नहीं प्रदान की जायेगी जब तक कि राज्य बोर्ड द्वारा जारी की गयी विधिमन्य पूर्व सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) ईट भट्टा के स्वामी द्वारा प्राप्त न कर ली गई हो"।

5- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं०-3709(एम०बी०)/2010 दीनानाथ शुक्ला बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में ईट भट्टों के संबंध में दिनांक 26.04.2010 को आदेश पारित किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

".....We, therefore, decline to entertain the petition, as there is nothing on record to indicate that the brick kiln is running or is likely to run without of obtaining the 'no objection certificate' from the U.P.

Pollution Control Board and the necessary licence from the Zila Panchayat as argued by the counsel for the petitioner. It is for the district magistrate and the police to see that no brick kiln is allowed to run in the absence of 'no objection certificate, of the U.P. Pollution Control Board and necessary licence of the Zila Panchayat, including the present brick kiln and if any complaint is made in this regard or even if it comes to knowledge of the authorities otherwise, appropriate action has to be taken by the district authorities

5- मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका सं०-20773/2014, सुमित सिंह बनाम उ० प्र० राज्य में भी ईट भट्टों के सम्बन्ध में दिनांक 01.05.2014 को आदेश पारित किए गये हैं, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत है :-

"..... The due exercise of statutory powers by the Pollution Control Board also requires the co-operation of the District Administration and the law enforcement Machinery of the district shall, therefore, take all necessary steps to ensure due compliance with the lawfull instructions and directives issued by the Board....."

6- राज्य में अवैधानिक रूप से संचालित हो रहे ईट भट्टों की सूची उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2021 में अपनी वेबसाइट (http://www.uppcb.com/status_brick_kiln.htm) पर अपलोड की गई थी, जिसमें से वर्तमान में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित ईट भट्टों का संचालन निषिद्ध किया जाना है। अतएव यह आवश्यक है कि ईट भट्टों का संचालन हेतु अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेंस जारी करने वाले राज्य सरकार के समस्त विभाग ईट भट्टों को अग्रेतर संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/लाइसेंस/अनापत्ति तब तक जारी न करें जब तक ईट भट्टों राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त न कर लें तथा ऐसे ईट भट्टों जिन्हें उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त नहीं है उनका संचालन तत्काल प्रभाव से निषिद्ध किया जाये।

7- अतः उक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त वर्णित आदेशों तथा दिनांक 18.10.2022 को मा० मंत्री, वित्त एवं संसदीय कार्य, उ०प्र० द्वारा प्रदत्त निर्देश के अनुपालन में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना एवं जी०एस०टी० पंजीयन के बिना अवैध ईट भट्टों के संचालन को तत्काल प्रभाव निषिद्ध किये जाने हेतु प्रभावी/दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने एवं ऐसे ईट भट्टों जिन्हें उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं है, को संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेंस जारी करने वाले विभागों यथा जिला पंचायत, भूतत्व एवं खनिकर्म व वाणिज्य कर के जिला स्तरीय कार्यालयों से अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेंस निर्गत न किये जाने के संबंध में समयबद्ध रूप से कठोर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज सिंह)

अपर मुख्य सचिव

संख्या-1022(1)/81-6-2022, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज/संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन/भूतत्व एवं खनिकर्म/गृह/राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
3. आयुक्त एवं सचिव, उ०प्र० राजस्व परिषद, लखनऊ/प्रयागराज।
4. आयुक्त, वाणिज्यकर, उ०प्र० लखनऊ।
5. निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० लखनऊ।
6. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० लखनऊ।
7. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(रवि शंकर मिश्र)

संयुक्त सचिव

महत्वपूर्ण

संख्या-456/81-6-2023

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1- पुलिस आयुक्त,
गौतमबुद्ध नगर/लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/आगरा/प्रयागराज/गाजियाबाद।
- 2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक : 14 मई, 2023

विषय-प्रदेश में अवैध रूप से संचालित हो रहे ईट भट्टों से फैल रहे वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, के शासनादेश संख्या-970/81-7-2019-39(पर्या०)/2014-टी०सी०-1, दिनांक 21.08.2019, शासनादेश संख्या-582/81-7-2021-39(पर्या०)/2014-टी०सी०-1, दिनांक 08.07.2021 एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6, के शासनादेश संख्या-1022/81-6-2022 दिनांक 17.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वर्णित आदेशों के अनुपालन में अवैध ईट भट्टों के संचालन को निषिद्ध किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं ईट भट्टा संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेन्स जारी करने वाले विभागों तथा जिला पंचायत, भूतत्व एवं खनिकर्म तथा वाणिज्यकर के जिला स्तरीय कार्यालयों से परीक्षणोपरान्त ही अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेन्स निर्गत किया जाना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के अतिरिक्त अवैध रूप से संचालित ईट भट्टों का संचालन निषिद्ध कराये जाने हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी ईट भट्टों के विरुद्ध बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के स्तर से निर्गत आदेश संख्या 303/81-7-2021-39(पर्या०)/2014-टी०सी०-1 दिनांक 15.03.2021 द्वारा समस्त जिलाधिकारी, एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० को निर्देश दिये गये हैं।

2- ईट भट्टों द्वारा तकनीकी दृष्टिकोण से उपर्युक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित एवं संचालित न किये जाने के कारण परिवेशीय वायु गुणता कुप्रभावित न हो तथा ईट भट्टा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उपयुक्त स्थलों पर स्थापित किये जायें, इस उद्देश्य से पर्यावरण अनुभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-921/55-पर्या०/12-(पर्या०)-11 दिनांक 27.06.2012 के माध्यम से उत्तर प्रदेश ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 प्रख्यापित की गई है जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ही सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त है। उक्त नियमावली के नियम-3 में उपबन्धित है कि "ईट भट्टा की फूँकाई के संबंध में अथवा खनन पट्टा के लिए जिला पंचायत/सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुज्ञप्ति तब तक नहीं प्रदान की जायेगी जब तक कि राज्य बोर्ड द्वारा जारी की गयी विधिमान्य पूर्व सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) ईट भट्टा के स्वामी द्वारा प्राप्त न कर ली गई हो"।

3- मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका सं०-1103/2023, प्रमोद कुमार राज बली सिंह बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में ईट भट्टों के सम्बन्ध में दिनांक 09.05.2023 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत है :-

"..... 3. The Court is flooded with this type of petitions. Every week more than one and at times many petitioners are claiming similar grievance of unauthorised brick kilns set up or that

running brick kilns have not been closed despite directions issued by the statutory authorities. A third variety of case is also coming to this Court where the petitioners are claiming to be brick kiln owners who are complying with the law, yet, they are not being allowed to run their brick kilns.

4. Individual merits of such matters apart, this much is clear from the facts observed above that widespread grievance exists with the citizens as to due compliance and enforcement of the law.

5. By very nature and scope of influence, environment issues are such as may affect the present and future generations to come. The Court cannot ignore ramifications of violation of environmental laws in the inherent hope that the statutory authorities and government functionaries would remain aware and act with due diligence as to ensure strict compliance of the law. At present, on prima facie basis, slackness is observed in the due implementation of the law....."

4- राज्य में अवैधानिक रूप से संचालित हो रहे ईट भट्टों की सूची उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट (http://www.uppcb.com/status_brick_klin.htm) पर अपलोड की गई है, जिसमें से वर्तमान में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित ईट भट्टों का संचालन निषिद्ध किया जाना है। अतएव यह आवश्यक है कि ईट भट्टा संचालन हेतु अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेंस जारी करने वाले राज्य सरकार के समस्त विभाग ईट भट्टों को अग्रेतर संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/लाइसेंस/अनापत्ति तब तक जारी न करे जब तक ईट भट्टा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त न कर लेवे तथा ऐसे ईट भट्टों जिन्हें उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त नहीं है उनका संचालन निषिद्ध किया जाये।

5- शासन स्तर पर प्रदेश में अवैध रूप से संचालित ईट भट्टों के संचालन को निषिद्ध किये जाने के संबंध में समीक्षा की गई तथा समीक्षा में पाया गया कि अवैध रूप से संचालित हो रहे ईट भट्टों के संबंध में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी बंदी आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन व अनुपालन जिला प्रशासन द्वारा यथा समय सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। जिससे अवैध रूप से संचालित भट्टों के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

6- अतः प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त आदेश तथा समय ≤ पर मा० न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना एवं जी०एस०टी० पंजीयन के बिना अवैध ईट भट्टों के संचालन को निषिद्ध किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त ऐसे ईट भट्टों जिन्हें उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं है, को संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेंस जारी करने वाले विभागों यथा जिला पंचायत, भूतत्व एवं खनिकर्म व वाणिज्य कर के जिला स्तरीय कार्यालयों से अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेंस निर्गत न किया जाना एवं प्रदेश में अवैध रूप से संचालित ईट भट्टों के विरुद्ध उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी बंदी आदेश का त्वरित गति से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही की आख्या प्रत्येक त्रैमास के अन्त में शासन को उपलब्ध भी कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


(मनीष सिंह)
अपर मुख्य सचिव
Date: 10/05/2023 19:37:53
Reason: Approved

संख्या-456 (1)/81-6-2023-तद दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज/संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन/भूतत्व एवं खनिकर्म/गृह/राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, उ०प्र० राजस्व परिषद, लखनऊ/प्रयागराज।
- 4- आयुक्त, वाणिज्यकर, उ०प्र० लखनऊ।

- 5-निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० लखनऊ।
- 6-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० लखनऊ।
- 7-सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अवैध भट्टों की सूची, समन्वय स्थापित करके संबंधित जिला अधिकारी को उपलब्ध कराये, जिससे मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
- 8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(घनश्याम मिश्र)
विशेष सचिव।

Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 1103 of 2023

Petitioner :- Pramod Singh Rajbali Singh

Respondent :- State Of U.P. And 3 Others

Counsel for Petitioner :- Lavlesh Kumar Shukla, Imamuddin

Counsel for Respondent :- C.S.C., Hari Nath Tripathi

Hon'ble Pritinker Diwaker, Chief Justice

Hon'ble Saumitra Dayal Singh, J.

1. Present petition has been filed for enforcement of Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012.
2. Primarily, grievance of the petitioner is, respondent no.4 has set up and is running a brick kiln without due clearance which is resulting in air pollution and depletion of natural resources by unauthorised mining of productive soil, for the purpose of running a brick kiln.
3. The Court is flooded with this type of petitions. Every week more than one and at times many petitioners are claiming similar grievance of unauthorised brick kilns set up or that running brick kilns have not been closed despite directions issued by the statutory authorities. A third variety of case is also coming to this Court where the petitioners are claiming to be brick kiln owners who are complying with the law, yet, they are not being allowed to run their brick kilns.
4. Individual merits of such matters apart, this much is clear from the facts observed above that widespread grievance exists with the citizens as to due compliance and enforcement of the law.
5. By very nature and scope of influence, environment issues are such as may affect the present and future generations to come. The Court cannot ignore ramifications of violation of environmental laws in the inherent hope that the statutory authorities and government functionaries would remain aware and act with due diligence as to ensure strict compliance of the law. At present, on *prima facie* basis, slackness is observed in the due implementation of the law.
6. In the facts of the present case, upon query made, Dr. Hari Nath Tripathi,

learned counsel for the respondent no.2 states, the complaint made by the petitioner was found to be true on facts. Respondent no.4 has been running the brick kiln without authorisation. Accordingly, the Regional Officer, U.P. Pollution Control Board has recommended to the Board for closure of the brick kiln. At present, closure order is yet to be passed by the Board. Once such order comes into existence, U.P. Pollution Control Board would be requesting the District Magistrate to ensure execution of that order.

7. As to the time frame and universal manner in which such situations may be handled, in a time bound manner, there is no clarity with the respondents. *Prima facie* it appears, there is lack of cohesion in the actions that are taken by the U.P. Pollution Control Board in collaboration with the State agencies. It is doubtful, if adequate effective communication channels are being maintained to ensure expeditious decision making and its execution. Unless the situation is remedied now, environment would remain neglected to the benefit of the polluters.

8. Accordingly, let Secretary, U.P. Pollution Control Board and the Secretary (Environment), Government of U.P. be communicated this order (by respective counsel), requiring their presence on the next date fixed to apprise the Court of what exact verifiable mechanism has been evolved and has been put in place such that decisions are taken and executed in a time bound manner from the date of compliance/non-compliance being made and action taken, independent of individual complaints.

9. Let proper personal affidavits of the Secretary, U.P. Pollution Control Board and the Secretary (Environment), Government of U.P. be filed on the next date.

10. Put up this case as fresh on 24.05.2023.

Order Date :- 9.5.2023

Abhilash

(S. D. Singh, J) (Pritinker Diwaker, CJ)

कार्यालय जिलाधिकारी, देवरिया

551/ सा०-92/2023

05-9-2023

कार्यालय आदेश

एतद्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जनहित रिट याचिका सं० 1103/2023, दिनांक 09.05.2023 में पारित आदेश के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6 के पत्रांक सं० 456/81-6-2023, दिनांक 19 मई, 2023 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में समस्त उपजिलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष जनपद देवरिया को निर्देशित किया जाता है कि अपने कार्यक्षेत्रों में अवैध रूप से स्थापित एवं संचालित ईट भट्टों जिनको उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं है, की संलग्न सूची जो उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत की गयी है, में अंकित ईट भट्टा इकाईयों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जनहित रिट याचिका सं० 1103/2023, दिनांक 09.05.2023 में पारित आदेश (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों का प्रभावी रूप से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Amulh
05-9-23
जिलाधिकारी
देवरिया।
dk

पत्रांक

दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. पुलिस अधीक्षक, जनपद देवरिया।
4. उपजिलाधिकारी, देवरिया सदर/रुद्रपुर/बरहज/सलेमपुर/भाटपार रानी।
5. समस्त थानाध्यक्ष, जनपद देवरिया।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर।
7. जिला खान अधिकारी, देवरिया।

Amulh
जिलाधिकारी
देवरिया।
dk

दिनांक 22-11-2023

देशीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

महादेव झारखण्डी, आवास विकास कालोनी, देवरिया रोड, कूड़ाघाट, गोरखपुर

जन सूचना

एतद् द्वारा जनपद गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर एवं महाराजगंज के ईट मट्टा मालिकों / संचालकों को सूचित किया जाता है जिनके ईट मट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथा संशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है अथवा संचालन हेतु वायु अधिनियम की धारा 21/22 के अन्तर्गत सहमति आदेश प्राप्त नहीं किया गया है, का संचालन प्रारम्भ न किया जाए। इस सम्बन्ध में उ०प्र० शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर से बिना सहमति आदेश प्राप्त किये ईट मट्टे का संचालन किया जाना अवैधानिक एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2023 के उल्लंघन स्वरूप होगा अतः अवैध रूप से संचालित किये जाने वाले ईट मट्टों के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अग्रतर की जाने वाले किसी भी तरह की दण्डात्मक / अभियोजनात्मक कार्यवाही जैसे संचालित ईट मट्टे की आग बुझाना, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित किया जाना अथवा सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किया जाना इत्यादि का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ईट मट्टा मालिक का स्वयं का होगा।

(अनिल कुमार शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी,

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर